

इंडस किसान के लिए निबंधन एवं शर्तें

इंडस किसान इंडसइंड बैंक का एक प्रत्यक्ष निधीयन उत्पाद है। यह कृषि तथा कृषि से संबद्ध कार्यकलापों को करने के लिए एकल स्रोत प्रणाली के जरिए किसानों की अल्पावधि एवं दीर्घावधि ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऋण कृषि भूमि जोत और निवेश ज़रूरतों के आधार पर दिया जाएगा।

1. शब्दों की परिभाषाएं एवं प्रयोज्यता

ऋण सुविधाओं के लिए आवेदन-पत्र (आवेदन) – का तात्पर्य इंडसइंड बैंक में कृषि ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुरोध फॉर्म से है।

ग्राहक – का तात्पर्य इंडसइंड बैंक में खाता रखने वाले किसी व्यक्ति/संस्था से है।

सेवा – का तात्पर्य इंडसइंड कृषि ऋण खाते के ग्राहक को इंडसइंड बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से हैं।

वेबसाइट – का तात्पर्य इंटरनेट में इंडसइंड बैंक के अधिकारिक वेबसाइट – www.indusind.com से है।

भारत सरकार (जीओआय) : का तात्पर्य भारत सरकार से है।

राज्य सरकार : का तात्पर्य उस राज्य सरकार से है जहाँ ग्राहक कृषि कार्यकलाप कर रहा है।

भारतीय रिझर्व बैंक (आरबीआय) – का तात्पर्य भारत में बैंकिंग के लिए समग्र विनियामक जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है, से है।

केवायर्सी – का तात्पर्य अपने ग्राहक को जानिए से हैं।

आयबीएल – इंडसइंड बैंक को संदर्भित करता है।

किसी विशेष लिंग को सूचित करने वाले शब्दों में अन्य लिंग भी शामिल हैं।

ये निबंधन एवं शर्तें ग्राहक और बैंक के बीच संविदा करती हैं तथा भारत के गणराज्य के अधिकार-क्षेत्र और बैंक की आंतरिक नीति समीक्षा के तहत संविधिक/विनियामक निकायों के नियमों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। नीचे दी गई शर्तें केवल इंडस किसान के अधीन कृषि ऋण खातों के सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू हैं।

2. पात्रता मानदंड

इंडस किसान उत्पाद के तहत ऋण का अनुरोध निवासी भारतीयों द्वारा अपने स्वयं के नाम में किया जा सकेगा और मुख्य पात्रता मानदंड निम्नानुसारः

- मुख्य आवेदक कृषि या कृषि से संबद्ध कार्यकलाप में लगा होना चाहिए और वह वयस्क होना चाहिए (18-70 के आयु समूह में)
- स्वयं खेतिदार, काश्तदार, अलिखित पट्टेदार और आबंटिती किसान (5 वर्ष से अधिक के लिए कब्जा अधिकार के रिकॉर्ड सहित)
- यदि मुख्य आवेदक 70 वर्ष से अधिक की आयु का है तो निम्नलिखित सभी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए。
 - (क) सह-उधारकर्ता अनिवार्य है
 - (ख) सुविधा के लिए कम से कम एक वयस्क कानूनी वारिस सह-उधारकर्ता होना चाहिए और उसकी उम्र 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि कोई कानूनी वारिस न हो तो सह उधारकर्ता, उधारकर्ता के परिवार का सदस्य/नजदीकी संबंधी होना चाहिए और उसे वयस्क होना चाहिए।

- उधारकर्ता (ओं) या गारंटर को किसी वित्तीय संस्था द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक की चूककर्ता सूची के अनुसार ‘चूककर्ता’ के रूप में घोषित न किया गया हो।

ग्राहक को ऋण सुविधाओं के लिए (आवेदन) आवेदन पत्र भरना होगा, सभी समर्थक प्रलेख (बैंक के वाय सी नीति के तहत अपेक्षित) पैन कार्ड की प्रति/फॉर्म 61 उपलब्ध कराना होगा और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे (यदि कई आवेदक हैं तो सभी आवेदकों को आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे)

ग्राहक को आवेदक या सह-आवेदकों द्वारा जोती जा रही भू-जोत का विवरण, किए जा रहे कार्यकलाप के प्रमाण सहित, प्रस्तुत करना होगा. निवेश की ज़रूरतों के लिए परियोजना रिपोर्ट/कृषि और/ या कृषि संबद्ध कार्यकलाप में दीर्घावधि निवेश के लिए घोषणा भी देनी होगी.

केवल आवेदन पत्र स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि बैंक ऋण सुविधा (ए) मंजूर कर ही देगा. बैंक अपने दिशानिर्देशों और नीतियों के आधार पर स्वविवेक से सुविधा मंजूर करने या न करने का अधिकार रखता है।

ऋण, मंजूरी पत्र में दिए गए निबंधनों एवं शर्तों तथा ऋण-सुविधा प्रलेखों और प्रतिभूति प्रलेखों में विनिर्दिष्ट उनके निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार विनियमित होगा।

ऋण अशिक्षित व्यक्ति को भी दिया जा सकता है लेकिन ऐसे खाते में चेक बुक नहीं दी जाती है।

ग्राहक ध्यान रखें कि स्वागत किट उन्हें के वाई सी मानदंड के भाग के रूप में विधिवत् सत्यापित और बैंक के साथ पंजीकृत पत्राचार के पते पर ही भेजी जाती है। प्रेषण या तो अधिकृत कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है। यदि ग्राहकों वेलकम किट/सुपुर्द की जाने वाली सामग्री निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो इस बारे में शाखा को सूचित किया जाना चाहिए ताकि पुनःप्रेषण किया जा सके। यदि सुपुर्द की जाने वाली सामग्री/वेलकम किट वापस आ जाती है तो बैंक खाते को अवरुद्ध कर देगा।

3. किसान कार्ड, पासवर्ड और चेक बुक को सुरक्षित रखना

ग्राहक ध्यान रखें कि किसान कार्ड का यदि लाभ उठाया गया है तो उसके प्रत्यायक, इंटरनेट बैंकिंग प्रत्यायक, फोन बैंकिंग प्रत्यायक, चेकबुक और अन्य सुविधाएं इंडसइंड बैंक के साथ रखे गये खाते में वित्तीय लेनदेन करने के साधन हैं।

ऊपर उल्लिखित प्रत्यायक तथा भविष्य में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के अन्य सभी प्रत्यायक के सुरक्षित रखरखाव एवं गोपनीयता की पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी। ग्राहक को इन प्रत्यायकों को किसी भी स्थिति में किसी दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए।

ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की सामग्री के दुरुपयोग के कारण होने वाली किसी भी धोखाधड़ी/अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

सामग्री ग्राहक को या तो स्वागत किट के साथ या स्वागत किट भेजने के बाद स्वतंत्र मेल के माध्यम से भेजी जाती है। ग्राहक ध्यान रखें कि सामग्री ग्राहक को के वाई सी मानदंडों के भाग के रूप में विधिवत् सत्यापित और बैंक के साथ पंजीकृत पत्राचार के पते पर ही भेजी जाती है।

इंडसइंड बैंक अत्यंत सुरक्षा प्रदान करने के अपने प्रयास के रूप में भौतिक मेल के माध्यम से पासवर्ड मंगाने के ग्राहकों के अनुरोध को हतोत्साहित करता है। इसके कारण, ग्राहकों को कुछ व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराने के बाद, ऑनलाइन या एटीएम के माध्यम से पासवर्ड निर्मित करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी, यदि ग्राहक चाहता है कि पासवर्ड उसे भौतिक मेल के माध्यम से भेजा जाए तो उसके कारण होने वाले किसी भी धोखे/दुरुपयोग के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होंगा। किसान कार्ड प्राप्त होने पर, पी ओ एस आउटलेट पर ग्राहक की आसान पहचान सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहक को कार्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रारंभिक पासवर्ड तुरंत बदल दिया जाना चाहिए। ग्राहक यह सुनिश्चित करें कि चेक बुक पूरी तरह इस्तेमाल कर ली गई है तथा बीच में कोई चेक पन्ना लापता नहीं है।

4. ब्याज, प्रभार एवं शुल्क

खाते के परिचालन और सेवाओं के संबंध में प्रभार, समय-समय पर वेबसाइट पर निर्धारित दरों पर वसूल किये जाएंगे। प्रभार मंजूरी के निबंधन और शर्तों के अनुसार परिभाषित आवृत्तियों पर खाते में नामे कर दिया जाएगा।

बैंक को सेवा प्रभारों को समंजित करने, समय पर बकाये का भुगतान न करने के लिए प्रभारों या किसी गलत जमा या प्रतिनिधि बैंक काउंटर/पार्टी द्वारा किए गए देरी से रिटर्न के लिए प्रभारों को, अन्य कोई सूचना उपलब्ध कराने या अतिरिक्त सहमति/अधिकार की अपेक्षा किए बिना, खाते में नामे करने का अधिकार है।

उक्त खाते में किसी रकम के बकाया होने की स्थिति में, उधारकर्ता, बैंक को निम्नलिखित अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा (करेंगे) :

ऋण खाते में ब्याज की गणना दैनिक नामे शेष पर, समय-समय पर, आपके द्वारा स्वीकृत मंजूरी पत्र में उल्लिखित दर पर उपलब्ध कराई गई आवृत्ति के अनुसार की जाएगी और ऐसा ब्याज उधारकर्ता (ओं) द्वारा देय तारीख पर किया जाएगा।

ऊपर दिए गए अनुसार ब्याज के भुगतान में चूक होने पर, उसे पूँजीकृत कर दिया जाएगा और मूलधन में जोड़ दिया जाएगा तथा उसे उधारकर्ता (ओं) को अग्रिम के रूप में माना जाएगा। बैंक नामे शेष की राशि पर, उधारकर्ता (ओं) द्वारा भुगतान न किए गए ब्याज को छोड़कर, जिसे ऊपर दिए गए अनुसार पूँजीकृत किया गया है, बैंक स्व-विवेक से जैसा उचित समझे दंडस्वरूप ब्याज वसूल करने के अलावा, उपर्युक्त दर से ब्याज वसूल करने का पात्र होगा।

ग्राहक ध्यान रखें कि ब्याज, तथा अन्य प्रभार बैंक की नीतियों के अनुसार और विभिन्न विनियामक एवं सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर भी समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

5. खातों के समूहन

बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार, इंडसइंड बैंक एकल पहचान नंबर के जरिए व्यक्ति/संस्था का पता लगाने का बहेतर प्रयास करता है। ग्राहक ध्यान रखें कि बैंक में एक ग्राहक के सभी खाते समूहित किए जाएंगे। प्रभार वसूली के मामले में, यदि प्रारंभिक खाते में पर्याप्त शेष नहीं है तो संबद्ध प्रभार ग्राहक के अन्य समूहित खाते से वसूल किया जाएगा।

ग्राहक यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उस खाते के लिए बैंक को देय कोई बकाया/प्रभार नहीं है, अपना कोई भी खाता बंद करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रत्येक खाता बकाये, ब्याज, शुल्क, प्रभार आदि के भुगतान के संबंध में अपनी आवश्यकताओं द्वारा विनियमित होगा।

6. लेखा-विवरण एवं पासबुक

बैंक के पास लेखा-विवरण के लिए ईमेल और भौतिक दोनों व्यवस्था है। भौतिक विवरण बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक के डाक-पते पर और ईमेल विवरण ग्राहक के रजिस्टर्ड ईमेल आइ डी पर भेजे जाते हैं। बैंक पासबुक का लाभ उठाने का भी विकल्प करता है। बैंक पासबुक सुविधा/ बैंक के निर्णयानुसार कतिपय आवृत्ति पर लेखा-विवरण भेजने के लिए अपने खाताधारकों से प्रभार वसूल नहीं करता है।

ग्राहक की यह जिम्मेदारी है कि वह इंडसइंड शाखा में जाकर थोड़े-थोड़े समय पर पासबुक अद्यतन कराये। यदि ग्राहक को जारी पासबुक अद्यतन नहीं कराई जाती है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ईमेल विवरण के लिए प्राप्त किसी भी ईमेल की प्रामणिकता सत्यापित करने की जिम्मेदारी ग्राहक पर होगी और ग्राहक द्वारा प्राप्त किसी भी कपटपूर्ण ईमेल के कारण उत्पन्न होने वाले किसी मामले/हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ईमेल विवरण, समय-समय पर ग्राहक द्वारा उल्लिखित अनुसार, पंजीकृत ईमेल पर ही भेजे जाते हैं।

यदि विवरण (ईमेल/भौतिक) समय पर नहीं मिला है तो ग्राहक को बैंक को सूचित करना चाहिए। बैंक डुप्लिकेट विवरण निःशुल्क जारी कर सकता है।

ग्राहक को किसी विसंगति/भूल के लिए विवरण मेल करने या पासबुक में प्रविष्टियाँ करने के 14 दिन के भीतर बैंक के पास जाना चाहिए। 14 दिन बीत जाने के पश्चात् ग्राहक द्वारा बैंक को बताई गई/सूचित की गई भूलों/विसंगतियों के कारण ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यद्यपि बैंक को विवरण/पासबुक में, किसी भी समय, अपने आप किसी भूल/विसंगति को सुधारने का अधिकार है।

ग्राहक पिछले निर्मित विवरण या पहले के किसी भी महीने के विवरण के लिए डुप्लिकेट विवरण जारी करने का अनुरोध कर सकता है। डुप्लिकेट विवरण जारी के प्रभार, प्रभार-अनुसूची के अनुसार होंगे।

ग्राहक को पते में परिवर्तन होने पर बैंक को तत्काल सूचित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के केवायसी दिशानिर्देश के अधीन, यथावश्यक, दस्तावेज उपलब्ध कराने के पश्चात् पासबुक में पता बदल दिया गया है।

इंडसइंड बैंक अपने खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए 'चेक ऑन चेक फैसिलिटी' उपलब्ध कराता है। इस सुविधा में, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत सभी आवक समाशोधन चेकों की प्रतिकृति उनके विवरण में प्रदर्शित होगी। इस सुविधा में डी डी, पी ओ, आर टी जी एस एन ई एफ टी लेन-देन के लिए जारी चेकों या नकदी आहरण के लिए जारी खुले पन्ने शामिल नहीं हैं। ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी चेक बैंक द्वारा बेहतर प्रयास के आधार पर स्कैन किए जाएंगे यदि ग्राहक द्वारा जारी किसी चेक की प्रतिकृति विवरण में प्रदर्शित नहीं होती है तो ग्राहक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

7. च्वॉइस मनी-ए टी एम

इंडसइंड बैंक ग्राहक सेवा व्यवस्था में नवीनता लाने के अपने सतत प्रयास में, किसान कार्ड के माध्यम से अपनी ए टी एम मशीनों से नकदी आहरित करते समय विभिन्न मूल्यवर्ग की मुद्रा में से चयन करने का ग्राहकों को विकल्प प्रदान करता है। यह ग्राहक को 100, 500 और 1000 के मूल्यवर्ग या इन करोंसियों का मिश्रण के कुछ मौजूदा विकल्पों को चुनने की अनुमति देता है।

ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि यह एक अतिरिक्त सुविधा है और उस समय नकदी एवं मूल्यवर्ग की उपलब्धता पर विशेष रूप से निर्भर करता है। ग्राहक की पसंद के मूल्यवर्ग उपलब्ध न होने पर बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

8. खाते का परिचालन

खाता परिचालन नियम खाते में परिभाषित अनुसार परिचालन अधिदेश पर निर्भर करता है (यह आवेदन में परिचालन अधिदेश के बारे में ग्राहक के अनुदेश के आधार पर या खाता खोलने के पश्चात् ग्राहक द्वारा प्राधिकृत किसी परिवर्तन के आधार पर परिभाषित किया जाएगा।)

किसी व्यक्ति के नाम से होने वाले खाते, केवल उसी व्यक्ति द्वारा परिचालित किए जा सकते हैं। संयुक्त खाते सभी आवेदकों द्वारा परिचालन अनुदेशों के आधार पर अकेले, किसी एक व्यक्ति द्वारा या दो या दो से अधिक संयुक्त रूप से या सभी आवेदकों द्वारा मिलकर परिचालित किए जा सकते हैं। परिचालन अनुदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए, परिचालन अनुदेश का लिहाज किए बिना, सभी उधारकर्ताओं द्वारा प्राधिकार आवश्यक है।

बैंक, अपनी केवायसी अपेक्षानुसार, ग्राहक से कुछ अतिरिक्त प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है या केवायसी के पुनः सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकता है। ग्राहक को बैंक के ऐसे अनुरोध को पूरा करना होगा और ग्राहक द्वारा ऐसे अनुरोधों का पालन न करने के कारण होने वाली किसी भौतिक/अभौतिक असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

बैंक समय-समय पर बैंक रिकॉर्ड में रखे जा रहे ग्राहक के पत्तेपर, सामग्री (अर्थात् पासबुक, चेकबुक, किसान कार्ड), लेखा विवरण, महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, और अन्य सम्बद्ध सामग्री भेजता है। इस लिए ग्राहक को डाक पते में होने वाले किसी परिवर्तन को बैंक को शीघ्रता से अधिसूचित करना होगा। ग्राहक द्वारा डाक पते में परिवर्तन की सूचना न दिए जाने के कारण ग्राहक को होने वाली किसी हानि/क्षति/असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ग्राहक को अपने कृषि उत्पाद की बिक्री से प्राप्त राशि को अपने नकदी ऋण खाते/ओवरड्राफ्ट खाते के माध्यम से भेजना चाहिए। ग्राहक को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्णय लिए गए अनुसार ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित अपने नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते का पूर्ण मंथन भी सुनिश्चित करना होगा।

यदि ग्राहक ने किसी ऋण खाते से उत्पन्न होने वाले देय को चुकाने के लिए स्थायी अनुदेश दिया है तो उसे बचत बैंक खाते में पर्याप्त शेष रखना चाहिए ताकि समय पर चुकाती सुनिश्चित की जा सके। जहां ग्राहक का हमारे बैंक में बचत बैंक खाता नहीं है ऐसे मामलों में, बकाये का भुगतान नकदी, अंतरण, चेक आदि के ज़रिए नियत तारीख पर अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समय पर बकाये का भुगतान न करने पर ग्राहक दंडस्वरूप ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही, चेक, स्थायी अनुदेश या ई सी एस के माध्यम से किए गए भुगतान के नकारे जाने के लिए अपनी नीति के अनुसार बैंक ग्राहक से अतिरिक्त प्रभार वसूल कर सकता है।

मीयादी ऋण के मामले में, ब्याज तथा मूलधन की किस्तों को ग्राहक द्वारा स्वीकृत निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, नियत तारीख पर चुकाया जाएगा। किसी भी ऋण सुविधा के बकाये का नियत तारीख पर भुगतान न करने पर बैंक अपनी नीति के अनुसार

दंडास्वरूप ब्याज वसूल करने के लिए बाध्य होगा और बकाये को वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई आरंभ कर सकता है जिसके लिए बैंक द्वारा उठाई गई अतिरिक्त लागत, दंडास्वरूप ब्याज सहित ग्राहक से वसूल की जाएगी।

खाते से आहरित की गई रकम को किसी असंबद्ध क्रियाकलापों में नहीं लगाया जाएगा और नकदी सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा स्वीकृत मंजूरी पत्र में उल्लिखित अंतिम उपयोग तक सीमित रहेगा।

बैंक द्वारा अपनी नीति के अनुसार, नियमित अंतरालों पर सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी और उधारकर्ता से अतिरिक्त जानकारी प्रलेखों के लिए अनुरोध किया जा सकता है। उधारकर्ता को ऐसे अनुदेशों का पालन करना होगा और ऐसे अनुरोधों को ग्राहक द्वारा मानने पर ग्राहक को होने वाली किसी भी भौतिक/अभौतिक असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

निधियों के अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए बैंक किसी भी समय क्षेत्र का निरीक्षण कर सकता है और क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए किए गए व्यय का प्रमाण उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकता है और उधारकर्ता को उसे पूरा करना होगा। ग्राहक को यह समझना चाहिए कि बैंक ने ग्राहक को ये सुविधाएं कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों को करने के लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी हैं और यह बैंक का अधिकार है कि वह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक से मिले/क्रियाकलाप की प्रगति को सत्यापित करें। यदि निधियों के अंतिम उपयोग अनियमितता पाई जाती है तो बैंक ग्राहक को दिशानिर्देश भी देगा और उधारकर्ता से अनुरोध है कि वह बैंक के साथ अच्छा सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सतर्क अनुपालन सुनिश्चित करें।

बेहतर सेवा लेने के लिए उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बड़ी रकम (रु 10 लाख से अधिक) के आहरण/जमा के लिए बैंक को अप्रिम में सूचना दें।

भारत सरकार ने रु 50,000 की किसी भी नकदी जमा लेन-देन के लिए पैन का विवरण (जहां ग्राहक के पास वैध पैन नहीं है वहां फॉर्म 60/61) उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है।

9 . चेक बुक

बैंक सभी इंडस किसान धारकों को बहु-नगरीय व्यक्तिगत चेक बुक उपलब्ध कराता है (चेक बुक सुविधा अशिक्षित उधारकर्ताओं, अपरिचालित खातों (मीयादी ऋणों) या जहां ग्राहक द्वारा चेक बुक सुविधा के लिए अनुरोध नहीं किया गया है ऐसे खातों को नहीं दी जाती है। खाते के प्रकार के आधार पर ग्राहक कुछ चेकबुक निःशुल्क पाने का हकदार है।

यदि मौजूदा चेक बुक समाप्त हो गई है तो ग्राहक नई चेक बुक के लिए अनुरोध कर सकता है। खाते के प्रकार के आधार पर ग्राहक सीमित संख्या में निःशुल्क चेक बुक पाने के हकदार है और मुफ्त सीमा से अधिक चेक बुक जारी किए जाने पर प्रभार वसूल किया जा सकता है।

(ग्राहक के खाते से) प्रस्तुत सभी चेकों पर निम्नलिखित होना चाहिए।

- खाते के परिचालन अनुदेश के अनुसार लिखत पर हस्ताक्षर किया गया है।
- चेक पर हस्ताक्षर, विशेष खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड में हस्ताक्षर के अनुसार है।
- सभी खाने (पाने वाला, राशि अंकों में, राशि शब्दों में, तारीख) भरे गए हैं।
- चेक गतावधि नहीं है (तारीख प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने से अधिक की नहीं है)।

- सभी हेर-फेर पर चेक काटने वालों का काउंटर हस्ताक्षर है (आरबीआय बैंक के संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार, चेक ट्रैकेशन सिस्टम के तहत प्रोसेस किए जाने वाले चेकों में हेर-फेर की अनुमति नहीं है) यदि हेर-फेर संदेहास्पद प्रकृति का पाया जाता है तो बैंक चेकों को अस्वीकार भी कर सकता है।
- चेक का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त निधि है—ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाते में पर्याप्त निधि हो ताकि चेक निधि के अभाव में अस्वीकार न हो जाए। अपर्याप्त निधि के कारण अस्वीकार हुए किसी भी चेक पर बैंक दंडस्वरूप ब्याज वसूल कर सकता है।
- ग्राहक ध्यान रखें कि चेक ट्रैकेशन व्यवस्था के माध्यम से चेकों को प्रोसेस करने के लिए सभी उल्लिखित अपेक्षाएं लागू होंगी और ग्राहक को उन प्रतिबंधों को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक चरणबद्ध तरीके से विभिन्न स्थानों पर चेक ट्रैकेशन प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं।

यदि ग्राहक द्वारा बाद में प्रस्तुत किया गया चेक अपर्याप्त निधि के कारण वापस होता है तो बैंक प्रभार भी वसूल कर सकता है। यदि चेक वापस होने के अधिक मामले होते हैं, तो बैंक को ग्राहक के खाते को अवरुद्ध करने का अधिकार है।

ग्राहक किसी भी चेक के लिए, जो गुम हो गए हों/ चोरी हो गए हों/जिनका भुगतान करने की जरूरत नहीं है। 'भुगतान रोकना' अनुरोध कर सकते हैं। ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा भुगतान रोकने का अनुरोध बैंक में चेक के प्रस्तुतीकरण के पूर्व किया गया हो। बैंक ऐसे चेकों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जिसका भुगतान रोकने का अनुरोध, बैंक में चेक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् बैंक को प्राप्त हुआ हो। बैंक ऐसे किसी भुगतान रोकने के अनुरोध के लिए ग्राहक से प्रभार वसूल कर सकता है (कृपया प्रभार-अनुसूची देखें)

10. मांग ड्राफ्ट और भुगतान आदेश

ग्राहक इंडसइंड बैंक लि. की किसी भी शाखा में जाकर मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश जारी करने के बारे में सम्बन्धित प्रभार (प्रभार-अनुसूची देखें) ग्राहक से उसके खाते में नामे करके वसूल किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया इंडसइंड बैंक की शाखा से संपर्क करें।

11. मोबाइल अलटर्स

जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड हैं वे किए गए विभिन्न प्रकार के बैंकिंग लेन-देन के लिए मोबाइल अलटर्स प्राप्त करने के हकदार हैं। ये अलटर्स विशेष रूप से नकदी आहरण, निधि नकदी अंतरण जमा, निधि ऋण शेष आदि के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं। यद्यपि बैंक ग्राहकों को बारंबार अलटर्स भेजता है (वित्तीय लेन-देन होने के आधार पर), ग्राहक किसी विशिष्ट सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है।

बैंक ये अलटर्स बेहतर प्रयास के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए भेजता है कि ग्राहक को लेन-देन के तुरंत बाद सूचना प्राप्त हो जाए, फिर भी बैंक पूर्ण सूचना प्रेषण को पूरा करने के लिए विभिन्न थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करता है। इस संबंध में ग्राहक को कोई भी सूचना देरी से मिलने/सूचना न मिलने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

इन मोबाइल अलटर्स के लिए प्रभार, उत्पाद की विशेषताओं बैंक के साथ ग्राहक के संबंध और प्रभार-अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। ये प्रभार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

12. खाता बंद करना

ऋण खाता इंडसइंड बैंक की उस शाखा में लिखित अनुरोध देने के बाद बंद किया जा सकता है जहां ऋण सुविधा ली गई थी। ग्राहक को सभी सम्बद्ध सामग्री अर्थात् अप्रयुक्त चेक पन्ने और किसान कार्ड बैंक को लौटाने होंगे।

यदि बैंक को देय सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है तो सुविधा के बंद होने पर बैंक 'कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र' जारी करेंगा। ऐसी बंदी के कारण वापस हुए चेकों/ किसी लिखत के नकारे जाने के लिए और खाता (तो) की बंदी के कारण आने वाली लागतों/प्रभार के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

13. शर्तों में परिवर्तन

निबंधन एवं शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा किए किसी नियम/ विनियम में परिवर्तन, बैंक द्वारा किसी सुविधा/उत्पाद में जोड़ या विलोप या अन्य किसी कारण से, ग्राहक द्वारा स्वीकृत मंजूरी पत्र में उल्लिखित मौजूदा निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन करने के लिए बैंक, जैसा आवश्यक समझे हुए परिवर्तन के कारण, परिवर्तित हो सकती है।

बैंक समय-समय पर अपने पूर्ण विवेक पर निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन कर सकता है। प्रभार हो सकते हैं लेकिन वे नए निबंधन एवं शर्तें जोड़ने, मौजूदा निबंधन एवं शर्तें निकालने, मौजूदा निबंधनों एवं शर्तों में आशोधन करने तक सीमित नहीं रहेंगे। बैंक इन प्रभारों के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालकर या उपलब्ध सूचना के अन्य प्रकार से सूचित कर सकता है। ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह बैंक की वेबसाइट को नियमित रूप से देखे और निबंधनों एवं शर्तों के बारे में अपने आपको अद्यतन रखें।

14. अहस्तांतरणीयता

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराये गये खाते एवं सेवाएं किसी भी हालत में अहस्तांतरणीय हैं और ग्राहक द्वारा ही इस्तेमाल किए जाएंगे। यद्यपि बैंक को अपने अधिकारों; लाभों या दायित्वों को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने, समनुदेशित करने या बिक्री करने का अधिकार है, निबंधन एवं शर्तें उत्तराधिकारी के लाभ के लिए जारी रहेंगी और बैंक को अभ्यर्पित रहेंगी।

15. सूचना

इंडसइंड बैंक लिमिटेड खाते, खाते के बारे में सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में सूचनाएं या तो ग्राहक के रजिस्टर्ड ईमेल पते पर ईमेल के जरिए या ग्राहक के रजिस्टर्ड डाक पते पर पत्र भेजकर दी जा सकती है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड कोई भी नोटिस वेबसाइट पर डालकर या शाखाओं में प्रदर्शित करके भी दे सकता है और ऐसा मान लिया जाएगा कि ग्राहक ने उसे प्राप्त कर दिया है।

16. सूचना को बांटना/प्रकटन

ग्राहक बैंक में कोई भी खाता खोलकर और उसे बनाये रखकर बैंक को यह अधिकार देता है कि बैंक अपने पास उपलब्ध ग्राहक के खाते/निजी जानकारी को ऐसी संस्था को बांट सकता है/प्रकट कर सकता है जिसके पास ऐसी सूचना तक पहुंचने का अधिकार है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है:

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआय)
2. भारत सरकार, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों/निकाय के जरिए
3. न्यायालय/जांच एजेंसियां
4. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी)
5. स्टॉक एक्सचेंजों के प्राधिकृत प्रतिनिधि
6. लेखा परीक्षक, व्यावसायिक सलाहकार

7. तीसरा पक्ष सेवाप्रदात जिसके साथ बैंक ने सेवाओं/उत्पादों के संबंध में कानूनी संविदा निष्पदित की है और जिसे सूचना तक पहुंचने की आवश्यकता होगी
8. कोई अन्य कानूनी संस्था/ प्राधिकृत व्यक्ति जो ऐसी सूचना के लिए पात्र है
9. ऋण सूचना ब्यूरो जिसमें सिविल शामिल है लेकिन केवल उसी तक सीमित नहीं है.

17. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

बैंक को ऋण/सुविधा के जारी रहने के दौरान किसी भी समय, ग्राहक को कोई नोटिस दिए बिना, चाहे जिस किसी कारण के लिए, स्वीकृत ऋण/सुविधा के आहरित न किए गए/ इस्तेमाल न किए गए/ लाभ न उठाये गए भाग को रद्द करने का शर्त-राहित अधिकार रखता है।

किसी अधिक आहरण या ब्याज/प्रभार/किस्त का भुगतान न करने के कारण होने वाली अनियमितता के लिए, ग्राहक द्वारा स्वीकृत मंजूरी पत्र में 3 उल्लिखित दर पर लागू दंडस्वरूप ब्याज लिया जाएगा।

सभी कानूनी, प्रलेखन प्रभार, जांच प्रभार, मूल्यांकन प्रभार तथा अन्य प्रासंगिक खर्च ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे जो वास्तविक खर्च होंगे।

बैंक को उधारकर्ताओं की खाता-बहियों की किसी भी समय जांच करने तथा बैंक के अधिकारी (अधिकारियों) और/या बैंक की परसंद के अर्हताप्राप्त लेखा-परीक्षकों और/या तकनीकी विशेषस्तों और/या प्रबंधन सलाहकारों द्वारा समय-समय पर कार्य-स्थल के निरीक्षण का अधिकार है।

बैंक को सुविधा बंद करने अर्थात् निबंधनों एवं शर्तों में उल्लिखित और सम्बद्ध प्रलेखों में भी समय-समय पर उल्लिखित शर्तों के अपालन/उल्लंघन या बैंक प्रस्तुत किसी सूचना/विवरण के सही न पाये जाने पर या ऐसे किसी परिवर्धन या स्थितियों के कारण जिसमें बैंक की राय में इसके जारी रहने या संवितरण द्वारा उसके हित पर प्रतिकूलत प्रभाव पड़ेगा) पड़ने की संभावना है तो कोई नोटिस दिए बिना बैंक किसी संवितरण को रोक रखने/रोकने का अधिकार है।

यदि उधारकर्ता देय तारीखों पर बकाये/ब्याज के भुगतान के रूप में ऋण सुविधाओं की चुकौती करने में चूक करता हैं तो बैंक उधारकर्ता और उसके निदेशकों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक को प्रकट करने का अप्रतिबंधित अधिकार रखता है।

इन निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करके, उधारकर्ता/गारंटीकर्ता बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार से और ऐसे माध्यम से, जिसे बैंक अपने पूर्ण विवेक से सही समझे, चूककर्ता के रूप में अपने नाम उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं) को प्रकाशित करने की सहमति देता है। बैंक को ये अधिकार अतिरिक्त रूप में न कि ऋण-करार या सामान्य शर्तों जैसा भी मामला हो, के तहत् उपलब्ध अन्य अधिकारों के अनादर के रूप में मिलेंगे।

उधारकर्ता द्वारा ग्राहक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कमीशन, दलाली शुल्क के रूप में या अन्य किसी रूप में प्रतिफल नहीं देना चाहिए।

ऋण जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया है उसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे (क) शेयरों/डिबेंचरों के अभियान या खरीदी (ख) सहायक कंपनियों/सहयोगियों को ऋण देने के लिए या अंतर-कंपनी जमाराशियों के लिए (ग) सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

ऐसा माना जाएगा कि उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं ने बैंक को प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़े तथा उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जा रही ऋण सुविधा खाते का संचालन और गारंटीकर्ता द्वारा दिए गए गारंटी के दायित्वों के संबंध में ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लि. (सिविल) या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों जो सूचना मांगने और प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत हैं को बैंक द्वारा प्रकट करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है।

बैंक ऋण सुविधा (एं) जारी रहने के दौरान, लिखित रूप में, बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, उधारकर्ता (क) किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था, उधारकर्ता या अन्य के साथ जमानती या गैर-जमानती कोई नई उधार व्यवस्था नहीं करेगा, अपनी अचल आस्तियों पर या बैंक को दी गई संपार्श्वक प्रतिभूतियों पर लिखित रूप में बैंक की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य प्रभार सृजित नहीं करेगा (ख) शेयर पूँजी के रूप में निवेश नहीं करेगा या न तो ज्ञान देगा या न तो अग्रिम देगा या किसी दूसरी संस्था में जमा नहीं करेगा लेकिन सामान्य व्यापार ऋण या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्रतिभूति जमा कर्मचारियों को अग्रिम दिया जा सकता है;

उपर्युक्त बिंदु के अलावा, लिखित रूप में बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, उधारकर्ता (क) किसी दुसरे ग्राहक के साथ समालोचन की योजना प्रतिपादन नहीं करेगा. पुनर्निर्माण नहीं करेगा, कोई उधारकर्ता अधिगृहीत नहीं करेगा (ख) किसी अन्य उधारकर्ता या तीसरे पक्ष की ओर से गारंटी दायित्व नहीं लेगा (ग) किसी ऋण या जमाराशि का भुगतान नहीं करेगा और देयताओं को पूरा नहीं करेगा सिवाय उनके जो समय-समय पर प्रस्तुत किए गए निधि प्रवाह विवरण में दर्शाइ गई हैं (घ) अपने प्रबंधन के गठन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा (ड) फर्म की संपत्ति की बिक्री/अंतरण नहीं करेगा और उसे बंधक नहीं रखेगा (च) विस्तार की कोई योजना कार्यान्वित नहीं करेगा और ठोस कीमत की अचल आस्तिका अधिग्रहण नहीं करेगा.

बैंक सुविधाएं (या उसका हिस्सा उसके हिस्से को तीसरे पक्ष (क्षों) को सौंप या अंतरित कर सकता है जिसके फलोस्वरूप बैंक, ग्राहक की लिखित पुर्व सहमति के बिना प्रलेख के तहत सभी या किसी अधिकार सहित इसमें सृजित प्रतिभूति को सुपुर्द करने का हकदार होगा.

बैंक इस मंजूरी के किसी/सभी निबंधन एवं शर्तों को ग्राहक को सूचित करके या सूचित किए बिना, बदलने/संशोधित करने का अधिकार रखता है।

इन निबंधनों एवं शर्तों के अन्य भाषाओं के पाठ के लिए, कृपया हमारी आफिशियल वेबसाइट देखें

इंडसइंड बैंक

आयबीएल हाउस, तीसरी मंजिल, क्रॉस बी रोड, एम आइ डी सी, जे. बी. नगर,

ऑफ अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 4000 59.

भारत. फोन बैंकिंग क्रमांक: 1800-500-5004 (भारत में)

हमारे वेबसाइट: www.indusind.com पर जाएं